प्रधिसूचना

(इलायची नियंत्रण)

इलायची (प्रनुशापन और विपणन) नियम, 1987

सा. का. नि. 116(घ): --फेन्द्रीय सरकारद गर्म मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 (1986 का 10) की घारा 38 द्वारा प्रवस्त कवित्वर्यों का प्रयोग करते हुए और इलायजी (प्रमुक्तापन और विपणन) नियम, 1977 की प्रधिकान्त करते हुए, निम्मलिखित नियम बनाती है, प्रधांत:---

- (1) संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—इन नियमों को संक्षिप्त नाम इलायची (अनुत्रापन और विपणन) नियम, 1987 है।
 - (2) ये राजपन्न में प्रकाशन की तारीवा को प्रवृश्व होंगे।
- परिमावाए:—इन नियमो में जब तक कि संवर्भ से धन्यथा अपेक्तित न हो:—
 - (क) ''ग्रिंगियम' से पर्न मसाला बोर्ड, 1986 (1986 का 10) ग्रिभिन्नेत हैं ;
 - (क्य) "नीलामकर्ता" से इत्तायची के नीलामों के संचालन के कारबार में लगा व्यक्ति समिप्रेत है।
 - (ग) श्यौहारी से इलायची के कयु और विश्वय के कारबार में लगा व्यक्ति व्यक्तित है परम्तु इसके बन्तर्गत नीलामकर्ताया निर्यात-कर्ता नहीं है;
 - (घ) "प्ररूप" से इन नियमों से उपायदा प्ररूप श्रामिप्रेत है।
 - (इ) "ध्यनित" से कोई स्पष्टि भणिप्रेत हैं और इसमें कस्पनी, फर्म सोसायटी और कोई घन्य संयम या ब्यष्टि निकाय भाहे वह निधमित हो या नहीं, सम्मिनित है।
 - 3. इसामची का कारबार चलाने के लिए अर्ते:---
 - (1) कोई व्यक्ति इन नियमों के सन्तर्गत जारी की गई अनुकृष्ति की शर्तों और निबन्धनों और इलायबी उद्योग विकास कोई हारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अधीन या उनके अनुसरण में इलायबी के शीलामकर्ता या व्यौहारो, के रूप में कारबार करेगा अन्यवा मही।
 - (2) हसायची का कोई उत्पादक, अपहीं उपज, किसी अनुक्राप्त प्राप्त मीलामकर्दा के माध्यम के अन्यया या उत्पादकों से इसायची कय करने के जिए अनुक्राप्त प्राप्त किसी ब्यौहारी से भिन्न, निसी को विकय नहीं करेगा:

परन्तु, यदि बोर्ड का समाधान हो जाता है कि उपजकर्ताओं को ध्रमाध्रमय प्रतिकास सुनिश्चित करने के लिए सारी इलायची को निलामों के माध्यम से निकासना ध्रावश्यक है, सो बोर्ड उत्पादकों से अपेक्षा कर सकता है कि वे ध्रपनी उपज, उपर्युक्त नीलामों के माध्यम से बनुजारित प्राप्त स्वौहारीयो को विकय करें।

- इलायची का कारबार करने के लिए व्यक्तियों का धनुकामन :
- (1) कोई स्थित को किसी भी वर्ष मीलामकर्ता या भ्यौद्वारी के रूप में कारवार करने की बांछा करे, बोर्ड को प्ररूप "क" मैं धनुस्थित के लिए धायेवन कर सकता है:

परम्तु कहां कोई व्यक्ति एक से मिल्रक हैसियत में मनुज्ञप्ति प्राप्त करने की बांछा करता है, नहां पृथक-पृथक प्रावेदन करना मायश्यक होगा:

परन्तु यह और कि यदि कोई नीलामकर्ता एक से प्रक्रिक केन्द्र ने भोजाम की संचालन करने की बांछा करता है, तो प्रत्येक केन्द्र के लिए शीला (ह') के लिए पुषक प्रमुक्तित प्रावश्यक होगी।

- (2) प्रत्येक भावेदन के साथ गर्म मासाला बोर्ड, कोचिन के पक्ष में संदेख 100/- च. की फीस कास मांग देव ड्राफट या पोण्डल मार्डर द्वारा दी जाएगी।
- (3) यदि बोर्ड का प्रावेदक की उपयुक्तता की बाबत समाधान हो। जाता है तो वह उसे प्ररूप "व" में प्रतृत्रविन जारों गर सकता है।

प्रमुक्तस्तियों का नवीकरण :

(1) नीलामकर्ता के रूप में प्रपत्नी प्रमुक्तिय का नवीकरण कराने की बांछ। करने बाला कोई व्यक्ति है, प्रकप "क" में नियम 4 के उपनियम (2) में विनिर्विष्ट रीती से, प्रपत्ना प्रावेदन फीस के साथ, बोर्ड को इस प्रकार भेजेगा कि वह बोर्ड के पास जिस वर्ष में प्रमुक्तिन मनाप्त हो रही हा उत्तरे पूर्वन्ती वर्ष में 30 जून को या उससे पूर्व पहुंच जाए:

परन्तु बॉर्ड, प्रनृज्ञस्ति के नवीकरण के लिए कोई धावेवन, प्रनृज्ञस्ति की समास्ति की तारीचा तक से सकता है, यदि विलम्ब के प्रति मास या उसके मांग के लिए 25 रु. की प्रतिस्तित कीन का नदाय किया जाता है।

6. प्रमुक्तियः की विधिमान्यताः

श्रनुक्रस्ति, सामान्यतः तीन वर्षं की भवधि के लिए विधियान्य होगो । परन्तु बोर्ड, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किंग् जाए, प्रस्तर भवधि के लिए मनुक्रस्ति जारी कर सकता है ।

- प्रनुशिप्त का निलम्बन या खुदकरण :
- (1) यदि बोर्ब का समाधान हो जाता है कि प्रमुक्ताप्तिधारी, मनुक्रप्ति की किसी गर्त का या अधिनियम तथा उसके प्रधीन बनाए गए नियमों के किसी उपबन्ध का या बोर्ड हारा प्राधिकृत प्रधिकारी द्वारा जारी किए गए साधारण या विकिष्ट निदेशों का उत्थीधन किया है या कोर्ड व्यक्ति जिसे इन नियमों के प्रधीन मनुक्रप्ति जारी की गई है, अनुक्रप्ति कपट या दुर्व्यपदेशन हारा प्राप्त किया है, तो वह किसी मन्य विधि के अधीन की जाने वाली किसी अन्य कार्रवाही पर प्रतिकृत प्रभाव डाले बिसा, ऐसे मनुक्रप्तिधारी को सुनवाई का युक्तिसुक्त प्रवसर देने के परवात और ऐसे कारण से जो लंबाबढ़ किए जाएं गे, एक लिखित प्रादेश द्वारा ऐसी मनुक्रप्ति निल्यास्ति या रद्द कर सकता है।
- (2) उपनिधन (1) के प्रधीन किए गए ग्रावेश की एक प्रति मनुशस्ति धारी को भेजीं जाएगी।
- 8. प्रपील (1) बोड के किसी ऐसे पार्वेश से, शिसके द्वारा किसी प्रमुत्ति को जारी या नवीक़त करने से इन्कार किया गया हो या किसी प्रमुत्ति को निसम्बत या प्रतिसंहत किया गया हो, व्यक्ति केई व्यक्ति, ऐसे प्रावेश किए जाने के साठ दिन के भीतर, केन्द्रीय सरकार को प्रपील कर सकता है।
- (2) उपियम (1) के मधीन भगील की प्राप्ति पर, केन्द्रीय सरकार. भगीसाथीं को सुनवाई का मुक्तियुक्त भवसर देने के पच्यात ऐसा धावेस पारित कर सकती है जो वह ठीफ समझे:
- 9. मनुक्तप्तिधारियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वालो विवरणियां :---प्रत्येक अनुक्तप्तिधारी, समय समर पर, ऐसे रिजस्डर और विवरणियां बनाए रखेगा और प्रस्तुत करेगा जो उन धर्तों के प्रधीन जिनके अनुसार अनुक्तप्ति चारी की गई हैं, अपेक्षित है।

[सं. 712 /86-ई पी (एग्री-5)] औ. पी. बागबी, संपुक्त समिव

प्ररूप "क्"

(निमम 4(1) और 5(5) देखिये]

नीलामकर्तां/व्याहारी के रूप में प्रतृत्राप्ति जारी करने के निए/प्रतृत्तप्ति के नवीकरण के लिए प्रावेदन

- (1)(क) श्रावेदक का नाम (माक मर्जारी में) (व्यक्ति/कर्म/कपनी/सोनाइटी/संगम)
 - (ख) नवीन या नवीकरण, यदि नवीकरण है, तो पूर्ववर्ती
 वर्ष की प्रनृष्ठाप्त संख्यांक दीजिए ।
 - (ग) भंजी गई फीस के स्थीरे।
- (2)(क) पूज पता (प्रधान कार्यालय और भाषात्रा के अदि, कोई हो, पते विए जाने चाहिए)
 - (ख) तार, टैलेक्न, टैलेफोन, यदि कोई हों।
 - (अ) भण्डार-स्थान का पूरा पता।
 - (4) कारबार की प्रकृति (नीलामकर्ता/व्यीहारी)
 - (5) फर्मं/कंपनी/सोसाइटी/मंगम के स्वरक्ष्मारी/स्वरूधारियों/ भागीवारों/मिदेशकों के पूरे नाम और स्थायी पते।
 - (6) विनिधान को गई पूंजी/विक्तीय द्याति
 - (7) वर्ष जिसके दौरान ग्रावेदक के पास बोर्ड की अनुज्ञाप्ति थी ।
 - (8) निम्नलिकित जानकारी (प्रत्येक मामले को सागू की जाएंगी)'---

नीसामकर्ता

- (i) नीलाम का स्थान ।
- (ii) नीलाम का विन/ममय पौर प्रावृत्ति
- (iii) उपजकस्तिमे भीर नीलाम में नफल बोली भौजने वालों की विए गए कोई विसीय मौकर्य, यदि कोई हो ।
- (iv) भण्डारण सुविधाएं/गोदास की श्रवस्थिति ।
- (v) नीलामचर नी सबस्यिति।

| (vi) | हसायची | ÷ | श्चेणीकरण | के | विए |
|------|-------------|------|-----------|----|-----|
| | सविद्याएं . | र्या | देकोई हों | 1 | |

| (vii) तीन, पूर्ववर्ती ग्रनुभापन वर्षों के दौरान,नीजाम की गई इलायची की माना भीर उसका मृत्य | व र्ष (सितम्बर-मनस्त) 19 | भाषा (कि.प्री.) 19, |
|---|---------------------------------------|---------------------------|
| (सितम्बर-घगस्म) | 19 | 19 |
| | 19 | 19 |

म्यौहारी

- (1) इलायपी के कर्य का स्थीत (रीपक से या मीलाम मे)
- (2) भण्डारण सुविधाएं।
- (3) क्या इलायची की भक्डारण के दौरान संक्रम से सवाने के लिए धूमन किया क्या है ?
- (4) पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान किसी एक संव्यवहार ग्राधिकतम और न्यूनतम कय और विकास की गई इसायकी की माधा और उसका मून्य ।
- (5) पूर्ववर्ती तीम धनुक्रप्ति वर्षों मे अब भीर विकय की गई इलायकी की माता और भूरव ।

| भर्ष | ऋस | | विक्य | | |
|-----------------------------------|------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------|--|
| सितम् यरम ग र त | माला (कि.घा.) | मूल्य (क.) | माश्रा (कि.ग्रा.) | ————————————————————————————————————— | |
| 19 19 | | | | | |

19... 19...

19... 19...

घीषणा

मैं/हम घोषित करता हूं/करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान चौर विख्वास के प्रनुपार सही है भीर यह कि मैं/हम इलायश्री (अनुवापन भीर विप्यन) नियम, 1987 का भीर कारबार के संवालन करते के बारे में बोर्ड द्वारा समय-समय पर विए पए अनुदेशों का पालन करता/करेगें।

स्वानः

(जावेवक या धानेवको के हस्ताक्षर)

तारीच :

दिव्यक्ती : (1) किसी भी व्यक्ति को भवने कारवार के प्रत्येक प्रवर्ग के लिए जैसे नीलामकर्ता या स्थीहारी के रूप मे प्रसन-मलग मानेदन करना होगा।

(2) जिन मानेवनों के साथ विहित फीस संसरन मही है उन पर विचार नहीं किया जाएगा।

प्ररूप स

{नियम 4(3) देखों|

नीलामकर्ता के रूप में अनुहारिश

(अनन्तरणीय)

| बन् ज्ञप्ति | r ,帕 .—— | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------|------|-------------------------|--|--------------|-----|----------|-------|----------|-----|------|---------------|-------|------|----|--|
| | | | इलायनी प | | | | | | | | | | | | | |
| | | | इलायणा - इक्ततीसर्वे | | स म्ब | नाप | बान।षण्ड | यास । | क अञ्चान | रहत | ₽ų ¥ | m ag a | ाक्या | जाता | ह। | |

स्यामः :

भूषा

सचिव के हस्तारक्षर .

- (1) मीलामकर्सा उस स्थान, उस दिन और उस समय पर को बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, नीलाम करेगा ।
- (2) नीलामकर्त्ता विकय के लिए प्रस्तावित इलायजी के प्रत्येक देर में से 500 प्राम इलायकी नमूने के रूप में निकालेगा उसमें से 350 ग्राम इलायजी नीलाम प्रारम्म होने से चार घंटे पहले नीलाम स्थल पर, बोली लगाने वालों की आंच के लिए प्रधिवित्तित करेगा तथा एक सूची प्रचालित करेगा जिसमें प्रत्येक हेर की मान्रा प्रत्येक देर के ग्रामों में बजन और ग्रापंक्षित की मत का उस्सेख होगा। सूची की एक प्रति बोर्ड को भेषी जाएगी। नमूने में की 100 ग्राम इलायची सबसे उंधी बोली लगाने वाले को दी जाएगी और लेप 50 ग्राम किसी विवाद की दगा में, सत्यापन के लिए मृह्रवाय पोलियीन के चैले में, सात दिन तक रखी जाएगी। यमान्यित, उक्त श्रविध की समाप्ति पर या विवाद के समझौता हो जाने पर, इलायजी का स्वामी, नीलामकर्ता द्वारा नमूने के रूप में निकाली गयी इलायची में से ग्रेष इलायची वापस लेने के लिए हकदार होगा,।
 - 2(क) नीलामकर्सा, श्रपने द्वारा की गई सेवाओं के लिए कमीशन के रूप में, विकय कीमत का एक प्रतिवत कमीशन से प्रक्षिक का प्रभार नहीं लेगा ।
- (ख) नीलायकर्ता, स्वापियों से जो अपनी इलायची नीलाय के लिए साते हैं, उसे देव एक प्रतिशत कमीक्षन से श्रधिक कोई बहुा या नक्ष्य या धस्तुकप में संदाय/धपने लिए या केता की ओर से नहीं लेगा या स्वीकार नहीं करेगा। नीलायकर्ता यह मृतिक्षित करेगा कि स्वामी को,नीलाय में विकार की गई इलायची की संपूर्ण माला का मुल्य प्राप्त हो।
 - (3) नीलामकस्ति प्रसप "ग" में एक रजिस्टर रखेगा।
 - (4) मीलामकत्ती, नीलाम की तारीका से मात विन के चीतर प्ररूप "ग" में रखे गए, रजिस्टर का उद्धारण, बोर्ड को मैंजेगा।
 - (5) नीलामकत्ता, नीलाम से अगले दिन नीलाम की एक अग्रिम रिपोर्ट प्रक्प "च" में चेजेगा ।
- (8) नीलामकर्ता किसी ऐसी एस्टेंट के स्वाभी से जिसने अपनी एस्टेंट रिजस्ट्रीकृत न कराई हो या किसी ऐसे व्यवहारी से जो बोर्ड से अनुक्रास्त प्राप्त नहीं है, इनायची के विकास के सिए बातचीस नहीं करेगा।
- (7) जहां कोई नीलामकर्ता अपने कारबार को किसी दूसरे व्यक्ति को अन्तरित करता है, वहा अन्तरिती, इलामची (अनुकापन और विपणन) नियम, 1986 के अञ्चलित प्राप्त करेगा।
- (8) अहां अनुश्रन्तिक्षारी की मृत्यु हो आती है, वहां मूल अनुशन्ति पर्यवसित हुई समझी आएगी भीर यदि एक से अधिक व्यक्ति शृत व्यक्ति के वारिस होते का बाबा करे तो वारिस या वारिसों में से प्रत्येक उसके लिए नई अनुशन्ति जारी करने के लिए कोई को आवेदन करेगा।
- (9) प्रत्येक अनुक्रितिवारी, नीक्षामकर्ता के भप में अपने कारबार के सम्बंध में, उसके द्वारा रखे गए सभी लेखाओं, रजिस्ट्रारों अन्य अभिनेखों को कोई के किसी ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे इस विभिन्त अध्ययन ने प्राधिकत किया हो, मांग की जाने पर, निरीक्षण के लिए पैश करेगा।
- (10) नीलामकर्ता प्रत्येक नीलाम की बायत नीलाम की नारीख से 14 दिन के चीतर बोली लगाने वालों से शोध्य संवाय को वसूल करेगा मौर उन्हें नीलाम की नारीख से 21 दिन के सीतर उगाने वालों को संदाय करेगा। उगाने वालों भौर व्यापारियों से शोध्यों की बाबत जानकारी प्रस्येक नीलाम की बाबत बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी।
- (11) नीलाम कर्सा उगाने वालों द्वारा श्रीर अवावाकृत रक्षम को बैंक के पृथक खाते में रखेगा ग्रीर प्रत्येक नीसाम की वावत स्वीरे वोर्ड को सुविध करेगा। असमाधान कारणों के विका अनुवंधित अवधि के भीतर उगाने वालों को तोध्यों का संवाय न किया जाना (इसायची अनुत्रपित और विपणन) नियम 1987 का शतिक्रमण है।

व्योहारी के इप में अनज्ञित

(अनन्तरकीय)

| गुज़ ित सं, | |
|--|--------------------|
| श्रीमसी/बी/मैसर् | नीलाधमें |
| त्यांदकों से प्रत्यक्ष इसायची का कथ करने के लिए, नीचे दिनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हुए प्राधिकृत किया आता है। | |
| यह अनुक्रिप्त 19के अगस्त के इकटीसर्वे दित तक विधिमान्य है। | |
| 1, | |
| | |
| | सचित्र के हस्नाकार |
| थाम : | |
| गरी क | |
| | |

मुद्रा

गर्ते :

- (।) ध्यौहारी, किसी ऐसी संपवा के स्वामी से विसने अपनी शंगवा का रिजस्ट्रीकरण नहीं कराया हो या ऐसे नीलामकर्ता से जिसे वोवें द्वारा अनुत्रस्ति इसी गई हो, इलामची का कम नहीं करेगा।
- (2) कोई व्यीक्षारी, इलायची उत्पादको या नीलामकर्ताचो से नकद या वस्तु रूप में, चाहे वह अटटे के रूप में ही या कमीशन के रूप में, न तो किसी रक्तम की मांग करेगा धौर न स्वीकार करेगा। किसी नीलाय में भाग नेने वाला कोई व्यीहारी, लाटों में उसके द्वारा अथ की यह इलायची की सम्पूर्ण माक्षा के किए, पूर्व मूल्य का संदाय करेगा।
 - (3) प्रस्तेषा व्योहारी, प्रहप "ब" मे एक रजिस्टर रखेगा।
- (4) प्रत्येक व्यक्तिरी प्रकर ''क'' में एक मासिक विवरण इस प्रकार कैजिया कि वह उसके पश्चासवर्धी मास्र के दसवें दिन को या उससे पूर्व बोर्ड के प्राप्त पहुंच जाएं!
 - (5) अह्य कोई क्यौहारी अपना कारबार, अन्य व्यक्ति का अन्तरित करता है, वहा अन्तरिती नई अनुप्रधित प्राप्त करेगा :
- (6) जहां अनुक्रियारी की मृश्य हो खाली है, वहां मूल अनुक्रान्त पर्यवसित हुए समझी आएगी और यदि एक से अधिक व्यक्ति मृत व्यक्ति के वारिस होने का बाबा करते हैं करें तो बारिस या नारिसी में से प्रश्येक नई अनुक्रान्त फारी करने के लिए बोर्ड को आयेदन करेंगे।
- (7) प्रश्येक व्याहारी, इलायकी व्याहारी के रूप में अपने वारवार के संबंध में उसके द्वारा रखे आने वाले रामी लेखाओ, रजिस्ट्ररों अन्य अभिलेखों को बोर्ड, के किसी ऐसे आधिकारी द्वारा, जिसे इस निमिरत अध्यक्ष ने प्राधिश्वत किया हो, मांग की जाने पर, निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करेगा।
- (8) व्यौहारी नीलाम में ऋप किए गए इलायची के मूल्य नीक्षाम की तारीख से 14 दिन के भीनर नीलामकर्षा की संदाय करेगा । अनुविधन अविध के भीसर ऋय मूल्य का संदाय न किया जाना इलायची (अनुक्रांश्त भीर विषणन) नियम, 1987 का अतिक्रमय है।
- (9) अनुक्रप्ति का उल्लरवर्ती 3 वर्षों के लिए नदीकरण नहीं किया जाएगा, यदि व्यौहारी विश्विमाध्य अमुक्रप्ति धारण करने की अवधि के दौरान कारवार के संव्यवहार करने में असफल रहता है या "कोई नई" विवरण प्रस्तुत करता है।

प्ररूप "ग"

(प्रदेष खा की शर्त 4 देखिए)

भीलाम रिपोर्ट

(1) रोपक (2) व्योहारी से प्राप्त इस्तायकी के नीलाम के लिए पृथक रिपोर्ट की जानी काहिए ।

गमं मसाला योहं अनुक्रासि मं ⋰ महस् . मीलाम सं.

म्यूनतम की यतः भीसत कीमतः

अधिकतम की मतः

Ħ.

कीकामकी सारीख:

कस सं. रोपक व्यक्तियो का पूरा संपदा रिकस्ट्रे करण नीलाम के लिए विक्य की माला माम और पता रक्ष(गर्डमाह्ना (कि.पा.) संख्या गर्म मसाला बोर्ड (कि.ग्रा,) **श्नुज**ित सं, 4 1

बोली लगाने यमें मसाला कोई टिग्पम बःभी **जन** प्रतिकि. इ.र. गूल्य कनुज्ञारित सं. वाले का पूरा पर माम भीर पता ₹. 8 10 11 7

में/हम पुष्टि करता / करते हैं /हूं कि मैंने/हमने नीलाम में विकय की गई इसायकी के स्वामियों से, नियमों के अधीन मुझे हमें अनुशात 1 % कमीशन से किस कोई पढ्टा या कमीशन स्थीकार या प्राप्त नहीं किया है, न ही भैने/हमने कोई इलायची या कर्गाशन आये फेलाओं को दी है।

मीला**नक्षा** के हस्ताकर

स्पान :

सारीय :

1675 GI/87---3

281 "T"

[प्रकपमा-1 की शर्त (5) देखिए]

अग्रिम नीलाम रिपोर्ट

मीलासकर्ता कर माम और पता गर्स असारा बोर्ड की अनुहरित सं

- 1. ক্রু
- 2. मीमाम सं
- नीलाम की तारीक
- 4. पूर्ववर्ती मीसाओं से अवसीत माळा (कि. घा.)
- ड. नई आमद (कि. ग्रा.)
- ह. नीलाम के लिए रखी गई कुल माझा [(कि. बा.) त्रम सं. (4) बीर (5) की कुल माझा
- 7. विकय की गई कुल माला (कि. पा.)
- & निवाली गर्दे माला (कि. धा.) क्य सं. (e) (7)।
- 9. रोपकों की बापस की गई माला (कि. रा.)
- 10. नीशामकर्ती के पाम अतियोग (कि. ग्रा.) कम सं. (8)---(9)
- 11. विक्रमों का चुल मृहम (ह)
- 12. अन्कितम कीमत (च./कि. ग्रा.)
- 13, ग्युनतम कीमत (१./कि. धा)
- 14. भौसत कीमत (च.कि./ ग्रा)

गीला मक्तर्र के हस्तान्तर

स्वान :

शारीच :

प्रहरू "क"

(ब्रस्थ स-II--देखिए)

अगुन्नप्ति-प्राप्त स्वौहारी द्वारा रखे आने वाले रजिन्दर व। प्रस्प

व्यक्तिरी का नाम भीर पता

अनुभव्ति सं.

| क्यकी तारीख | | उम व्यक्तिका नामधीर किया गया | पता जिसके केय | त्रंथ उस व्यक्तिका प्रकां जितने क्य किया गगा है उवाहरणतया रोपक/बीलामकर्ता | नीलामकर्ता की संपदा की रिजस्ट्री- करण संक्था/ अनुकारित संख्या | माला कि ग्रा. | भूल्य र |
|---|--|--|-----------------------------|---|--|--------------------|------------------|
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | _· | - | | | | |
| विकास की उसे व्यक्ति का तारीख पता जिसे इसाय की गई | | अभारित विकय उस व्यक्ति का प्रवर्ग जिसे इलायकी विजय की गई (उवाहरकतवा निर्मातकर्ता उपभोक्ता अभ्यो | निर्गत* मॉझा (कि.मा.) | म् <i>स्य</i> इ. | माता चिः,ग्रा. | पोत्त पर्यंग कृ | त निशुस्य स्य |

केवश उन व्यवाहारियों को लागु हैं जिनके पास निर्यातकर्ता की अनुवारित है।

| | | प्रास्प "च" | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---|---------------------------------------|
| | (प्रारूप स | -Tiकी सतं(4)देखिए) | | |
| अनुक्रप्ति प्राप्त स्योहारी धारा | दोई की भेज कान बाला मार्चि | सक विवरण) | | |
| त्र्योयहारी का नाम भौर पदा: | • | | | |
| गमें मसाला खों कें की अनुक्रास्ति सं | | | | मास |
| क्रम | आर ारिक वि क्रम | | | |
| जिससे ऋय विध्या | मह्नाकि,द्रा, | मूल्य (रू.) | जिससे विश | य किया गया |
| | | | | *निर्मात |
| | | | | पीत पर्धन्त नि मृ त्क स्ट्य |
| भाज्ञा (कि.गा.) | मूक्य (इ.) | • | माका (कि.चा.) | मृहव (६.) |
| ा. रोपक | 1. 1 | निर्यातकर्ता | - " | |
| 2. मीलासकर्सा | 2. | उपम ोक्त ा | | |
| 3. अस्य | . 3. | अध्य | | |
| कुल | ————————————————————————————————————— | | •ृष | — , — |

- 1. पिछले मास का अग्रनीत स्टाक (कि. ग्रा.)
- 2. मास के दौरान अथ की गई कृत माला (कि. शा.)
- 3. मास के दौरान आन्तरिक विश्वरों की कुल गासा (फि. गा.)
- 4. भास के दौरान किए गए नियति की क्स माझा (कि.का.)
- 5. मास के अन्त में बन्द स्टाक (कि. गा.)

*केवल उन न्यौहारियों को लाग् श्रीमा जिनके पास नियमिक्टी में रूप में रिविस्ट्रीकरण प्रमाणपक है।

मैं/हम पुष्ट करते हैं कि गैने/हमने इलायकों के अपने उत्पादक में प्रयक्ष : या नीलामकर्ण के माध्यम में कोई कमीधन या बहुटा नहीं स्वीकार किया है।

-पौहारी के हस्ताक्षर

स्यान :

त्राचेख :

(CARDAMOM CONTROL)

(The Cardamom (Licensing and Marketing) Rules, 1987

NOTIFICATION

- G.S.R. 116(E).—In exercise of the powers conferred by section 38 of the Spices Board Act, 1986, (10 of 1986) and in supersession of the Cardamom (Licensing and Marketing) Rules, 1977, the Central Government hereby makes the following rules, namely:—
- 1. (1) Short title and commencement—These rules may be called the Cardamom (Licensing and Marketing) Rules, 1987
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires:—
 - (a) 'Act' means the Spices Board Act, 1986;
 - (b) 'auctioneer' means a person engaged in the business of conducting cardamom auctions;
 - (c) 'Dealer' means a person engaged in the business of purchasing and selling of cardamom but does not include any auctioneer or exporter;
 - (d) 'Form' means a form appended to these rules;
 - (e) 'Person' means an individual and includes company, firm, society and any other association or body of individuals, whether incorporated or not.
- 3. Conditions to carry on business in cardamom.— (1) No person shall carry on business as auctioneer or dealer of cardamom except under and in accordance with the terms and conditions of a licence issued under these rules and such other instructions as may be issued, from time to time, by the Board for the development of the cardamom industry.
- (2) No producer of cardamom shall sell his produce otherwise than through a Licensed auctioneer or to a dealer licensed to purchase cardamom from producers:

Provided that the Board may, if it is satisfied that to ensure remnuerative returns to growers, it is necessary to route all cardamom through auctions, require producers to sell their produce to the licensed dealers through auctions alone

4. Licensing of persons to carry on business of cardamom.—(1) Any person desiring to carry on business as auctioner or dealer in any year may apply in Form A to the Board for a licence:

Provided that separate applications shall be necessary where a person desires to be licensed in more than one capacity:

Provided further that separate licence shall be necessary for an auctioneer in respect of each centre if he desires to conduct auctions in more than one centre.

- (2) Every application shall be accompanied by a fee of Rs. 100 by a crossed demand draft or postal order drawn payable to the Spices Board at Cochin.
- (3) The Board may, if it is satisfied as to the suitability of the applicant, issue a licence to him in Form B.
- 5. Renewal of licences.—(1) Any person desiring to renew his licence as auctioneer or dealer may submit his application to the Board accompanied by the fees, and in the manner specified in sub-rule (2) of rule 4 in Form A so as to reach the Board on or before the 30th June of the year in which the licence expires:

Provided that the Board may entertain an application for the renewal of licence up to the date of expiry of the licence on payment of an additional fee of Rt. 25 for the delay of every month or part thereof.

6. Validity of licence.—The licence shall normally be valid for a period of three years:

Provided that the Board may issue a licence for a shorter period for reasons to be recorded in writing.

- 7. Suspension or cancellation of licence.—(1) If the Board is satisfied that a licensee has violated any of the conditions of the licence or any provision of the Act or rules made thereunder or in general or specific directions issued by the Board or an authorised officer of the Board or that any person to whom licence has been issued under these rules has obtained such licence by fraud or misrepresentation, it may, without prejudice to any other action which may be taken under any other law, after giving a reasonable opportunity to such licensee of being heard and for reasons to be recorded in writing, suspend or cancel such licence by an order in writing.
- (2) A copy of the order made under sub-rule (1) shall be communicated to the licensee.
- 8. Appeal.—(1) Any person aggrieved by an order of the Board refusing to issue or renew a licence or suspending or revoking a licence may, within 60 days from the date of making of such order, appeal to the Central Government.
- (2) On receipt of the appeal under sub-rule (1), the Central Government shall after giving a reasonable opportunity to the appellant of being heard, pass such order as it may deem fit.
- 9. Returns to be submitted by licensess.—Every licenses shall from time to time, maintain and submit such registers and returns as may be required under the conditions on which the licence is issued.

[F. N. 7/2|86-EP (Agri. V)]

D. P. BAGCHI, Jt. Secy.

FORM-A

[See Rule 4(1) and 5(1)]

Application for issue/renewal of licence as auctioneer/dealer

- (1) (a) Name of the Applicant (In Block Letters) (Individual/Firm/Company/Society/Association)
 - (b) Fresh or renewal. If renewal, give previous year's licence No.
 - (c) Details of fee remitted
- (2) (a) Address in full (Addresses of principal office and branches, if any, should be given)
 - (b) Telegram, Telex, Telephone, if any
- (3) Address in full of the place of storage.
- (4) Nature of business (Auctioneer/dealer)
- (5) Full name and permanent address of the proprietor/proprietors/partners/directors of the Firm/Company/Society/ Association.
- (6) Capital invested/financial standing.
- (7) Years during which the applicant was in possession of Board's licence.
- (8) The following information to be given (as applicable in each case)

AUCTIONEER

- (i) Place of auction
- (ii) Day/time and frequency of auction
- (iii) Financi. laccommodation, if any, given to growers and successful bidders in auction.
- (iv) Storage facilities/location of Godown
- (v) Location of Auction Hall
- (vi) Facilities for grading of cardamom, if any
- (vii) Quantity and value of cardamom auctioned during the preceding three licensing years.

(September-August)

(Year)

Quantity (Kgs.)

(September—August)
19 19
19 19

DEALER

- (i) Source of purchase of cardamom (from planter or at auctions)
- (ii) Storage facilities
- (iii) Is cardamom fumigated against infestation during storage
- (iv) Maximum and minimum quantity purchased and sold in any one transaction during the last year

(v) Quantity and value of cardamom purchased and sold during the last three Licensing Years

| Year | Purcl | Sales | | |
|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| (SeptAugust) | Qty (kgs.) | Value (Rs.) | Qty (kgs.) | Value (Rs.) |
| 19 19 19 19 | | | · | |

Declaration

I/We declare that the information given above are true to the best of my/our knowledge and belief and that I/we shall abide by the Cardamom (Licensing and Marketing) Rules, 1987 and any instruction given by the Board from time to time regarding the conduct of business.

Place:

19.... 19....

Signature of the

Date:

Applicant or Applicants

- Note:-(1) Separate application shall be made by a person for each category of business as auctioneer or dealer.
 - (2) Application not accompanied with the prescribed fee will not be entertained.

FORM-B

(See Rule 4 (3)

I. LICENCE AS AUCTIONEER

(Not Transferable)

| Smt./Shri/Messers | nom as auctioneer at |
|--|----------------------------|
| The licence is valid upto the 31st day of August | . 19 |
| Place: | Signature of the Secretary |
| Date: | |

SEAL

Conditions:

Licence No.

The auctioneer shall conduct the auction at a place on a day and time specified by the Board.

(1) The auctioneer shall draw 500 grammes out of each lot of cardamom offered for sale as sample expose 350 grammes out of it for bidders to examine the same at the place of auction four hours before the commencement of the auction and circulate a list indicating the quantity of each lot, weight in grammes per litre and the reserve price. A copy of the list shall be sent to the Board. 100 grammes of the sample shall be given to the highest bidder and the balance of 50 grammes shall be kept by the auctioneer in a sealed polythene bag for a period of seven days for verification in case of any dispute. On expiry of the said period or on settlement of the dispute, as the case may be, the owner, of the cardamom shall be entitled to receive back the cardamom remaining from the sample drawn by the auctioneer.

- (2) (a) The auctioneer shall not charge more than one per cent of the sale price as commission for the services rendered by him.
- (b) The auctioneer shall not take or accept for himself or on behalf of the purchaser any discount or payment in cash or in kind from owners who bring their cardamom for auction over and above the one per cent commission due to him. The auctioneer shall ensure that the owner gets his value for the entire quantity of cardamom sold in the auction.
 - (3) The auctioneer shall maintain a register in Form 'C'.
- (4) The auctioneer shall send to the Board an extract of the register maintained in Form C within seven days from the date of auction.
 - (5) The auctioneer will send an advance report of the auction on the next day of auction in Form D.
- (6) The auctioneer shall not negotiate sale of cardamom with an estate owner who has not registered his estate or dealer who is not licensed by the Board.
- (7) Where an auctioneer transfers his business to another person, the transferee shall obtain a fresh licence under the Cardamom (Licensing and Marketing) Rules, 1987.
- (8) Where a licensee dies, the original licence shall be deemed to have been terminated and if more persons than one claim to be heirs of the deceased, the heir or each of the heirs shall apply to the Board for the issue of a fresh licence for the same.
- (9) Every licensee shall produce, on demand for inspection by any officer of the Board authroised in this behalf by the Chairman, all accounts, registers and other records kept by him in connection with his business as an auctioneer.
- (10) Auctioneer shall in respect of each auction recover payment due from bidders within 14 days from date of auction and shall pay the growers within 21 days from date of auction. The information regarding dues to growers and from traders shall be furnished to the Board in respect of each auction.
- (11) The auctioneers may keep any unclaimed amount by the growers in a separate account in the Bank and details intimated to the Board in respect of each auction. Non-payment of dues to growers within the stipulated period without satisfactory reasons is violation of the Cardamom (Licensing and Marketing) Rules, 1987.

II. LICENCE AS DEALER

(Not Transferable)

| Licence No | |
|--|----------------------------|
| • | |
| is/are hereby authorised to purchase cardamom in auc ject to the conditions specified hereunder. | |
| This licence is valid upto the 31st day of Augus | t 19 |
| 1 | Signature of the Secretary |
| | |
| Place: | |
| Date: | |
| | _ |

SEAL

Conditions:

(1) The dealer shall not purchase cardamom from an estate owner who has not registered his estate from an auctioneer who has not been licensed by the Board.

No dealer shall solicit or accept any amount in cash or kind from cardamom producers or auctioneers, whether by way of discount or commission. A dealer participating in an auction shall pay full value for the entire quantity of cardamom in the loss purchased by him.

- (3) Every dealer shall maintain a register in form E.
- (4) Every dealer shall send a monthly return in Form F so as to reach the Board on or before the 10th day of the succeeding month.
 - (5) Where the dealer transfers his business to another person the transferee shall obtain a fresh licence.
- (6) Where a licensee dies, the original license shall be deemed to have been terminated and if more persons than one claim to the heirs of the deceased the heirs or each of the heirs shall apply to the Board for the issue of a fresh licence for the same.
- (7) Every dealer shall produce on demand for inspection by any officer of the Board authorised in this behalf by the Chairman, all accounts, registers and other records kept by him in connection with his business as cardamom dealer.
- (8) The dealers shall pay the auctioneers the value of the cardamom purchased in respect of an auction within 14 days time from the date of auction. Non payment of the purchase value within the stipulated period is violation of Cardamom (Licensing and Marketing) Rules, 1987.
- (9) The licence will not be renewed for succeeding period of three years if the dealer fails to transact any business or submit 'Nil' returns during the period of holding a valid licence.

FORM C

(See condition (4) of Form B1)

Auction Report

[Separate report should be furnished for auctioning of Cardamom received from (i) Planter (2) Dealer] Licence No. Season: Spices Board Maximum Price: Rs. Auction No. Minimum Price: Rs. Date of Auction Average Price: Rs. Estate Sl. Name Full Qty. put Oty. Rate Value Com-Name Spices Remark No. address of Reg. No. for auction sold & full Board. per mis-Spices Planter/ (kgs.) address Lic-(kgs.) K.g. sion Dealer Board (Rs.) of the ence (Rs.) (Rs.) Licence No. bidder No. 1 2 3 4 10 5 7 8 б 11 1. 2. 3. 4. 5,

I/We confirm that no discount or commission other than the 1% commission permitted to me/us by the Rules has been accepted by me/us or received from the owners of cardamom sold in the auction nor have I/We passed on any cardamom or commission to the purchasers.

Signature of the Auctioneer

Place:

Date:

FORM-D

(See Condition (5) of Form B-I)

ADVANCE AUCTION REPORT

| Name | and | Address | of the | Auctioneer | Spices | Board's | Licence | Number: |
|------|-----|----------------|--------|------------|--------|---------|---------|---------|
|------|-----|----------------|--------|------------|--------|---------|---------|---------|

- 1. Season:
- 2. Auction Number:
- 3. Date of Auction:
- 4. Quantity carried over from previous Auction (Kgs.)
- 5. Fresh Arrivals (Kgs.):
- 6. Total quantity put for Auction (Kgs.) (Total of Sl. No. 4 & 5)
- 7. Total quantity sold (Kgs.):
- 8. Quantity withdrawn (Kg.): Sl. No. (6)—(7)
- 9. Quantity returned to Planters (Kgs.)
- 10. Balance with the Auctioneer (Kgs.) Sl. No. (8)-(9)
- 11. Total value of the sales (Rs.)
- 12. Maximum Price (Rs./Kg.)
- 13. Minimum Price (Rs./Kg.)
- 14. Average Price (Rs./Kg.)

Signature of the Auctioneer

Place:

Date:

1675 GI/86-4

FORM E

(See Form B II)

(Form of the Register to be maintained by Licensed Dealer)

| Name | and | Address | of the | Dealer: |
|------|-----|---------|--------|---------|
|------|-----|---------|--------|---------|

Licence No.

Month:

PURCHASES

| Date of Purchase | Name and address of the person from whom purchase is made | Category of the person from whom purchase is made (Viz. Planter/Auctioner) | | |
|---------------------------------------|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | | |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | |

| Registration No. of the Estate/ | Quantity | Value |
|---------------------------------|----------|-------|
| Licence No. of Auctioneer | (Kgs.) | (Rs.) |
| 4 | 5 | 6 |

| INTERNAL SALES | | EXPORTS* | | |
|----------------|--|----------|--|--|
| Date of Sale | Name and Address of the per- son to whom cardamom is sold | whom | of the person to cardamom is sold Exporters/Consumers, | |
| 1 | 2 | | 3 | |

| Quantity (K.gs.) | Value (Rs.) | Quantity (K.gs.) | FOB Value |
|------------------|----------------|---------------------|--------------|
| 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | |

^{*}Applicable only to dealers who are having certificate of registration as exporter.

FORM-F

[See Condition (4) of Form B-II]

(Monthly statement to be sent to the Board by Licensed Dealer)

Name and address of the Dealer:

| Spices | Board's | Licence | No. |
|--------|---------|---------|-----|
|--------|---------|---------|-----|

Month:

| PURCHASES | | | INTERNAL SALES |
|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Purchases from | Quantity (Kg.) | Value (Rs.) | Sold To |
| | | EXPORTS* | • |
| | | F.O.B. | |
| Quantity (Kgs.) | Value (Rs.) | Quantity (Kgs.) | Value (Rs.) |
| 1. Planters | | 1. Export | ers |
| 2. Auctioneers | | 2. Consum | |
| 3. Others | | 3. Others | |
| Total | | Total | |

- 1. Carry over stock from last month (Kgs.)
- 2. Total quantity of purchase during the month
- 3. Total quantity of internal sales during the month (Kgs.)
- 4. Total quantity of exports during the month (Kgs.)
- 5. Closing stock at the end of the month (K.gs.)
- Applicable only to dealers who are having Certificate of Registration as exporter

I/We confirm that I/we have not accepted any commission or discount from any producer of Cardamom directly or through the auctioneer.

Signature of the Dealer

Place 1

Date